न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 2/2025

राजस्थान सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री दिलीप पुत्र जीवत राम,
प्रेम प्रकाश भोजनालय, रेलवे स्टेशन के सामने, अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 11.06.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2025 को जिला कलक्टर अजमेर के आदेशानुसार अभियान तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरूपयोग एवं गैस रिफिलिंग रोकथाम अभियान के तहत जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन अधिकारी, महेन्द्र कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक अजमेर शहरी क्षेत्र में श्री दिलीप पुत्र श्री जीवत राम, प्रेम प्रकाश भोजनालय रेलवे स्टेशन के सामने, अजमेर पहुँचे। मौके पर 01 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर कालू खान प्रतिनिधि गुलाब गैस एजेन्सी अजमेर को बुलवा कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का कांटे से वजन करवाने पर उनमें एलपीजी की शुद्ध मात्रा 5.9 किग्रा पाई गई जिसका विवरण निम्नानुसार है–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	118550 एस	BPCL	16.1	22.0	5.9

इस प्रकार मौके पर पाये गये अप्रार्थी द्वारा घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर का दुरूपयोग कर एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी की अवहेलना होने के कारण 1 घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर एवं 5.9 किग्रा एलपीजी को राजहित में जब्त किया गया एवं कालू खान प्रतिनिधि गुलाब गैस एजेन्सी अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए जिसका फर्द चैकिंग व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगी मौके पर तैयार कर संलग्न किया गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5.9 किग्रा एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर एकपक्षीय सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 10.01.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5.9 किग्रा एल.पी.जी को राजसात फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 10.01.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 5.9 कि.ग्राम एल.पी.जी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर